26/12/19 पत्रावली पेश हुई।

उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित।

तहसीलदार शिव के पत्रांक भू.अ./2019/3625 दिनांक 19.12.2019 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

उभय पक्ष अधिवक्ताओं को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्रा0 डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में वादी हनुमान उर्फ हनुमानसिंह को रकबा 63.05 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 को रकबा 8.15 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 2 को रकबा 48 बीघा भूमि दी गई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमि पारिवारीक विभाजन अनुसार विभाजित की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमि में मिलने वाले रकबे के अन्तर का रकबा इसी न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 148/2019 व 149/2019 में आपसी सहमति से प्राप्त कर लिया है। इसलिए इस राजस्व वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भूमि कम प्राप्त की है, इस विभाजन बाबत् उभय पक्ष अधिवक्ताओ ने इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम साजीतडा, पटवार मण्डल नागडदा, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 389/87 रकबा 120 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी मे घोषित की जाती है :–

क्र. स.	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा न.	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1.	हनुमानसिह वल्द गंगाराम, जाति–जाट, सा. साजीतडा खातेदार रहन बी.एल.डी.बी बालोतरा	389/87	63.05	बा.दो.	5.70	लाल
2.	राऊराम वल्द गंगाराम,जाति–जाट, सा. कुडला खातेदार रहन बी.एल.डी.बी. बालोतरा	389/87	8.15	बा.दो.	0.78	बैंगनी
3.	वीरमाराम वल्द केशराराम, कौम जाट, सा. कुडला रहन खातेदार एस.बी.बी.जी. शिव	389/87	48.00	बा.दो.	4.32	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाडमेर

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 26.12.19 को सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाडमेर

Scanned by CamScanner

डिक्री पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी षिव

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 147 / 2019

अन्तर्गत धारा 88,53, 188 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हनुमान उर्फ हनुमानसिह पुत्र गंगाराम, जाति– जाट, नि0 साजीतडा, तह0 शिव		1. राऊराम पुत्र गंगाराम 2. वीरमाराम पुत्र केशरराम जाति–जाट, नि0 साजीतडा, तह0 शिव 3. श्रीमान तहसीलदार शिव।

निर्णय

वादी की ओर से श्री राऊराम चौधरी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री हरिराम चौधरी की उपस्थिति में आज तारीख 26.12.19 को उपखण्ड़ अधिकारी शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम साजीतडा, पटवार मण्डल नागडदा, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 389 / 87 रकबा 120 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी मे घोषित की जाती है :–

क्र. स.	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा न.	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1.	हनुमानसिह वल्द गंगाराम, जाति–जाट, सा. साजीतडा खातेदार रहन बी.एल.डी.बी बालोतरा	389 / 87	63.05	बा.दो.	5.70	लाल
2.	राऊराम वल्द गंगाराम,जाति–जाट, सा. कुडला खातेदार रहन बी.एल.डी.बी. बालोतरा	389 / 87	8.15	बा.दो.	0.78	बैंगनी
3.	वीरमाराम वल्द केशरराम, कौम जाट, सा. कुडला रहन खातेदार एस.बी.बी.जी. शिव	389 / 87	48.00	बा.दो.	4.32	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा ।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाडमेर

आज दिनांक 26.12.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाडमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 15:23:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: